

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रिबिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

गुडडी

बनाम

राजस्वाम -सरकार

दावा बाबत नाम डुरुसी U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 115/2021

निर्णय दिनांक :- 23-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वयं किया जाकर शक्ति ग्राम खेत खाता संख्या 5A गणम रोडी रिबिया में अंकित युकी पुत्र मगनाराम के स्वाम पर गुडडी पुत्री मगनाराम की करके का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अंकन दरायत करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

ज. स. 1318
24-11-21